(c) An Inter-Departmental Coordination Group is monitoring the movement of the oil slick.

Small and Large Lakes of Bhopal

946. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the Minister of ENVIRONAND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have identified small and large lakes of Bhopal as Bhopwet land for conservation and development of forest and environment;

(b) if so, what steps Government have taken in this direction;

(c) whether Government propose to cover up the environment of adjacent hill areas of these lakes;

(d) if so, the details of targets have been fixed up in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b)The steps taken include weed control diversion of sewage drains, shifting of slums, erosion treatment and monitoring of water quality.

(c) and (d) The management action plan for conservation with a target to cover about 2000 hectares of the catchment area includes the adjourning hill areas.

Bird Mystery in Assam

947. SHRI BHADRESWAR BURAGOHAIN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the famous Jatinga bird mystery in Assam;

(b) whether it is a fact that a Bombay-based organisations investigated the mystery;

(c) if so, whether the organisation has submitted its report; and

(d) if so, what are their findings?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) This Miistry has no information regarding any Bombay-based organisation whih may have reinvestigated the mystery. However, a study connected by the Zoological Survey of India, Calcutta, has not come to any firm conclusion about the cause of the phenomenon called the Jatinga bird mystery.

पर्यावरण संबंधी कारणों के आधार पर औद्योगिक इकाइयों के लिए लाइसेंसों का रद्द किया जाना

948. **डा० अबरार अहमद :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 2 वर्षों के दौरान पर्यावरण संबंधी कारणों के आधार पर जिन औद्योगिक इकाइयों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसे नये एककों की संख्या क्या है, जिन्हें लाइसेंस नहीं दिए गए हैं अथवा जिन्हें प्रतिष्ठापन के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया गया ;

(ग) इन इकाइयों के नाम और उनके प्रतिष्ठापन के स्थानों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार पर्यावरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठा रही है ; और

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धौलपुर में ताप विद्युत इकाई की स्थापना के कारण पर्यावरण और ताजमहल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है ; यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पर्यावरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव तथा उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं।

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता मा निर्धारित किये गये है ।

(3) परिवेशी गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है ।

(4) प्रमुख नगरों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(5) उद्योगों के स्थान निर्धारिण एवं प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं ।

(6) बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विर्जनोंको निर्धारित सीमाओं के रखने के लिए उद्योगों राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कहा गया है ।

(7) उद्योगों को समयबद्ध आधार पर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिये गये हैं तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जाती है ।

(8) मल जल और अपवहन तन्त्र के निर्माण संवर्धन के लिए तथा मल जल शोधन के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं । इस प्रकार की स्कीमें केन्द्र सरकार की गंगा कार्य योजना के अंतगत कलकत्ता में शुरू की गई हैं ।

(9) साझे बहिःस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने हेतु एक स्कीम शुरू की गई है ।

(10) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं ।

(11) मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत सभी वाहनों के लिए ठोस एवं द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किये गये हैं । भूतल परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को इन ठोस उत्सर्जन मानकों को 1 मार्च, 1990 लागू करने की सलाह दी है ।

(12) यानीय प्रदूषण के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं ।

(13) पैट्रोलियम उद्योग से पैट्रोल में सीसे की मात्रा कम करके 1993 तक 0.15 ग्राम प्रतिलिटर तक लागाने का कहा गया है ।

(14) प्रत्येक मोटर वाहन निर्माता को उसके द्वारा बनाए गए वाहन का प्रोटोटाइप सरकार द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा जांच करने के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित है तथा उत्पाद के उत्सर्जन मानकों सहित नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप होने के बारे में एक प्रमाण पत्र देना अपेक्षित है । यह उपबन्ध अप्रल 1991 लागू हो गया है ।

(15) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी संस्थान (नीरी), नागपुर सड़कों पर चलने वाले वाहनों निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए एक देशी कैटलिटिक कनवर्टर बनाने के कार्य में लगा है ।

(ङ) मामला विचाराधीन है ।

ECO-Destruction of the Himalayas

949. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that eco-destruction of the Himalayas portends a gra-